



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940

No. 591]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

**का.आ. 709 (अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र देखे सं.का.आ. 3415 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के भारतीय मानक ब्यूरो विनियम, 1987 के नियम 9के उपनियम (1) एवं नियम 16 एफ के उपनियम (1) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

(i) पृष्ठ 4 पर, अनुसूची के क्रम संख्या (10), कालम (2) में

IS 302 (Part 1)



मौजूदा को “ R-xxxxxxx ” से प्रतिस्थापित करे

(ii) पृष्ठ 4 पर, अनुसूची के क्रम संख्या (10), कालम (4) में “आईएस 302 (भाग1)/ आईईसी 60035 - 1” को “आईएस 302 (भाग1)” से प्रतिस्थापित करे ।

[फ.सं. के. प्र. वि.-III/8:1]

एम वी एस डी प्रसादा राव, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक(प्रमाणीकरण),बीआईएस

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Consumer Affairs)**

**(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)**

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 30th January, 2019

**S.O. 709(E).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary in pursuance of sub-rule (1) of the Rule 9 and sub-rule (1) of the Rule 16F of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India, vide S.O. 3415(E) dated the 17<sup>th</sup> October 2017:

(i) At page 7, Sl. No. (10) in column (2) of the Schedule-



Substitute“ **R-xxxxxxx** ” for the existing.

(ii) At page 7, Sl. No. (10) in column (4) of the Schedule-  
Substitute “ IS 302 (Part 1) ” for “IS 302 (Part 1) / IEC 60035 – 1”.

[F. No. CMD-III/8:1]

M. V. S. D. PRASADA RAO, Sc-G & Dy. Director General (Certification), BIS